

(1400/MY/RCP)

सर, आज इस बहस के क्रम में कुछ और बड़ी बातें कहने की जरूरत है। मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस के उपनेता ने कुछ कहा कि बदलाव पहले भी हुए हैं।

सर, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद वर्ष 1954 में एक्ट आया, वर्ष 1959 में बदलाव हुआ, वर्ष 1964 में बदलाव हुआ, वर्ष 1969 में बदलाव हुआ, वर्ष 1984 में बदलाव हुआ और फिर वर्ष 1995 में बदलाव हुआ। ये सब रिकॉर्डेड हैं। अगर आप निर्देश देंगे तो हम इसे प्रस्तुत करेंगे। ये सारे बदलाव कुछ जमातों के दबाव में आए। वर्ष 1995 का बदलाव का कब आया, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। इन लोगों ने कहा कि ठीक है, हमारे वक्फ में बदलाव कीजिए। वर्ष 2013 का बदलाव तब आया, जब इनके हारने का रास्ता खुल रहा था।

सर, जब इस तरह से आप कानून में बदलाव करते हैं तो आपकी मंशा अकिलयत की सेवा करना नहीं है, बल्कि आपकी मंशा अपने वोट की इजाफा करने की है। फिर भी आप हार जाते हैं। फिर भी आप समझते नहीं हैं... (व्यवधान) मैं इनकी आवाज सुन रहा हूं। क्या वह अपने प्रदेश के हैं? ... (व्यवधान)

सर, अब मैं कुछ संपत्ति पर आता हूं। आज आठ लाख संपत्तियां हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। उसे मुतवल्ली मैनेज करता है। मैंने दिखा दिया कि वह मैनेजर है। क्या मैनेजर की कोई एकाउन्टबिलिटी होती है या नहीं?

सर, मैं पटना साहिब का सांसद हूं। हमारे क्षेत्र के गर्दनीबाग में सरकारी जमीन पर एक तालाब है, जहां लोग छठ में अर्घ्य देते हैं। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है। वहां से पाँच-सात किलोमीटर पर एक कब्रिस्तान है। यह वर्ष 1920 का रिकॉर्डेड है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हमारा वक्फ है और हर बार छठ में खड़े हो जाते हैं। हथुआ में यही काम किया गया। अभी दिल्ली के 113 स्थानों की बात की गई। मैं सुन रहा था कि कोलकाता में जो फोर्ट विलियम है, जहां सेना का कमांड है, वह भी हमारा वक्फ है। अब वे आगे कहेंगे कि पूरा हिन्दुस्तान ही वक्फ है, क्योंकि यहां हमारे सम्राट हुए थे। क्या देश इसी तरह से चलेगा?

सर, प्रयागराज के बारे में ऐसा बोला गया, भोपाल के बारे में बोला गया, कहां नहीं बोला गया। मुम्बई में बोला गया, जहां चले जाइए, वहां ऐसा बोला गया। यह देश ऐसे नहीं चलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह एक बार सदन को विस्तार से बताएं। जिस तरह से वक्फ का दावा किया गया, उसका दावा करने वाले कौन थे। आप थोड़ा गहराई में जाइए। हम लोग भी देश में घूमते हैं। मैनेजर साहब की बिल्डर से साठगांठ हो गई और वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। क्या यह सच्चाई नहीं है? वक्फ इसके लिए नहीं होता है। इसलिए, यह पूरा बदलाव जरूरी है।

सर, मैं इस कानून के संदर्भ में एक और बात कहना चाहता हूं। लेकिन, इसके पहले मैं बिहार के एक बड़े नेता को कोट करना चाहूंगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, उनका नाम मैं बाद में पढ़ूंगा। उनको कोट करना चाहता हूं। उनकी बड़ी विनम्रतापूर्ण टिप्पणी थी। वह सदन के सामने आनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है। वह उस समय पार्लियामेंट थे। उन्होंने कहा था कि पूरा लूट लिया है, पटना में भी लूट लिया है। वक्फ का कानून एकदम होना चाहिए।

सर, जिस नेता ने यह बात कही थी, वह हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। मेरे पास उनका कोट है। अगर आप कहेंगे तो मैं निकाल कर पढ़ दूंगा... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शङ्कीया) : इसे आप टेबल कर दीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद (पटना साहिब) : अच्छा, इसे मैं ले कर दूंगा।

सर, किसने नहीं विरोध किया? आज मैं विपक्ष से एक ही बात कहना चाहता हूं कि कुछ तो आप अपने दिल में झांकिए।

(1405/CP/PS)

कुछ तो दिल में झांकिए आप कि अगर वक्फ की सम्पत्ति की लूट हो, क्या हम खामोश रहें? इसको सख्त करना बहुत जरूरी है। एक बात उन्होंने बार-बार कही कि पहले हाई कोर्ट को भी पॉवर थी। The High Court did not have any direct power. हाई कोर्ट चाहे तो कॉल फॉर कर सकता है या कोई कंप्लेंट कर सकता है। लॉ में कोर्ट जाना मना था और ट्रिब्यूनल ने कैसे-कैसे काम किए, यह भी आप जानते हैं। अब आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। मैं दो-तीन ट्रिब्यूनल्स की कहानी जानता हूं। कृपया करके ट्रिब्यूनल ठीक-ठाक चले, सिर्फ सेटिंग, गेटिंग नहीं हो, यह भी बहुत जरूरी है कि ट्रिब्यूनल में बहुत ईमानदारी से फैसला होना चाहिए। जो बार-बार ये कह रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा और चाहूंगा कि कांग्रेस के मित्र इसका जवाब दें कि आज क्रिश्चियन समाज क्यों दुःखी है, वह क्यों चाहता है कि वक्फ में बदलाव हो? पूरे भारत का क्रिश्चियन समाज, केरल का क्रिश्चियन समाज, the Christian community and the churches are very, very disturbed by the encroachment of their property under the garb of waqf. उनको लगता है कि बदलाव जरूरी है। अखिलेश जी, आपको भी कभी सोचना ही पड़ेगा। ...(व्यवधान) जिस तरह चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत से क्रिश्चियन्स लखनऊ के आसपास हैं। आपको मालूम है न? ...(व्यवधान)

मैं दो-तीन बिंदुओं पर बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। नंबर एक, आप इस बिल का विरोध करते हैं, तो क्यों करते हैं? इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस बात का जवाब दें कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है? नंबर दो, क्या आप चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने, लूटने, दलाली, बिचौलियों के बीच में रहे या गरीबों के काम में आए, पसमांदा मुसलमानों के काम में आए, बेटियों के काम में आए? यह बिल उनके लिए रास्ता खोलता है।

तीसरी बात, इस बिल में बड़े-बड़े नामी-गिरामी मेंबरान पार्लियामेंट, जूरिस्ट, रिटायर्ड जजेज, महिलाएं, सिविल सोसाइटी, सब आकर देखने वाली हैं, तो आपको शर्मिन्दगी किस बात की है? मैं एक बात विनम्रता से कहूं, परेशानी किस बात की है? मैनेजर साहब के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मुतवल्ली के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। इसी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा कि हम आपके इफ्तार में नहीं जाएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा। संजय जायसवाल जी समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इन लोगों ने कहा था न कि इफ्तार में नहीं जाएंगे, आपको बुलाएंगे भी नहीं, तो मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि आपके वे दिन लद गए, जब आप वीटो लगाते थे। यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, यह विकास के लिए हर काम करेगी।

सर, मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हमारे ऊपर इन्होंने बहुत से आरोप लगाए। ये हारते जा रहे हैं, फिर भी भाषा वही है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कहती है कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास'। अगर गैस दी तो क्या हिंदू-मुसलमान में कोई फर्क किया, अगर शौचालय बनाया तो क्या हिंदू-मुसलमान में फर्क किया, अगर सड़कें बनीं तो क्या यह कहा कि मुस्लिम गांव से सड़क नहीं जाएगी? वोट दो या न दो, जब हम सत्ता में हैं तो पूरे हिंदुस्तान को एक नजर से देखेंगे। हम जिस प्रदेश से आते हैं, जहां से गिरिराज जी भी आते हैं, वहां एक बहुत बड़ा मामला चलता है कि इनहे सड़क मत बनाहीं, यहां वोट न मिलहीं। यह हम नहीं करते। हम सबको एक नजर से देखते हैं, आप वोट दो या न दो। कभी-कभी आप कुछ तो हमसे सीखिए। यह देश के हित में है।

मैं मोदी जी का अभिनन्दन करता हूं, मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं, गृह मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं। हम यह बदलेंगे, देश के लिए, अकलियत के लिए, खवातीनों के लिए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1409 बजे

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : सभापति महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण, देश के लिए और बड़ी आबादी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक और बिल आया है।

(1410/NK/SMN)

1410hours

(Hon. Speaker in the Chair)

मेरे से पूर्व मेरे साथी बोले हैं, वे माननीय सदस्य अभी मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत सारी बातों से सहमत हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जो एक्स-कांग्रेस के हैं वे ज्यादा बोल रहे हैं। आज जो बिल पेश हुआ है, मैं हिन्दी और अंग्रेजी में जो कुछ समझ सकता हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह उम्मीद है, यह उम्मीद कैसे बनाएं, अंग्रेजी में भी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उम्मीद है। हिन्दी में भी समझ नहीं आ रहा है कि उम्मीद है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, ... (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय, मैं वह बात छेड़ना नहीं चाहता था लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं हैं, जो हमारे साथी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिल लाया जा रहा है, अभी भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिन्दू कौन बड़ा है। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जो पार्टी यह कहती है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वह अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए, भारतीय जनता पार्टी क्या है।

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी ने बहुत हंसते-हंसते कहा है, मैं इसका हंसते-हंसते जवाब दे दूँ। सामने जितनी पार्टियाँ हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पांच लोगों के ही परिवार का चुनना है। हमें बारह-तेरह करोड़ों सदस्यों में से प्रक्रिया करके चुनना होता है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूँ कि आप 25 साल तक अध्यक्ष हो, नहीं बदल सकते।

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, जो बात निकल कर आई है, उसे आगे बढ़ा दूँ। जो बात सोशल मीडिया या कई जगह गुपचुप-गुपचुप हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिन पहले जो यात्रा हुई है, वह कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी। वक्फ बिल जो लाया है, वह नाकामी का पर्दा है, नाकामी एक नहीं है कई बता सकता हूँ। अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था। पुराने कई बिल के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर आए हैं। मुझे याद है, उस समय मैं उत्तर प्रदेश में था, मुझे लगा कि शायद इनकी बात ठीक होगी। ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर आए थे। फैसला यह लिया था कि आधी रात आज के बाद नोट नहीं चलेंगे, नोट बंद हो जाएंगे। उस नोटबंदी की नाकामी के बारे में भी तो चर्चा हो जाए। अभी भी न जाने कितनी जगहों पर कितना रुपये निकलता जा रहा है, कितना निकल कर आ रहा है।

(1415/SJN/SM)

नाकामी केवल नोटबंदी की नहीं है, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए, वह भी इनकी नाकामी है। मुझे याद है, एक माननीय मंत्री जी पूरे देश की नदियों की बीओडी के बारे में बता रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी यह भूल गए कि उनके शहर या क्षेत्र में जो नदी है, उसकी बीओडी क्या है। क्या गंगा नदी साफ हो गई? क्या यमुना नदी साफ हो गई? क्या स्मार्ट सिटी बन गई? क्या गोद लिए गए गांवों को इन्होंने गोद से उतार दिए हैं? आज उनकी क्या दुर्दशा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ (संशोधन) विधेयक बना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है, उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है।

अध्यक्ष महोदय, नाकामी केवल यहां तक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी क्या है? मैं केवल एक पुरानी घटना को याद करता हूँ। एक बार फैजाबाद, अयोध्या में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उसमें बड़ी तैयारी की गई थी। उसके लिए मुंबई से कलाकार बुलाए गए थे। हो सकता है कि उसकी सहमति दिल्ली से न मिली हो, केवल वह कार्यक्रम लखनऊ की सहमति से हो रहा हो। जब उस कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो गई, भगवान श्रीराम बनकर कोई आ गया, लक्ष्मण बनकर कोई आ गया, मां सीता भी बनकर कोई आ गया, भगवान हनुमान भी बनकर कोई आ गया, लेकिन जब लखनऊ से हेलिकॉप्टर उड़ा और अयोध्या पहुंचा, तो उसमें सब लोग थे, लेकिन हनुमान नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा कि आप जानकारी करिए कि आखिरकार वहां भगवान श्रीराम थे, लक्ष्मण थे, सीता जी थीं, लेकिन वहां हनुमान क्यों नहीं थे? वहां हनुमान इसलिए नहीं थे, शायद उनकी जाति या धर्म कुछ और था। यह देश मिली-जुली संस्कृति से चलता है। कुछ हमने सीखा है, कुछ उन्होंने सिखाया है। जो लोग यह कहते हैं कि हम सबको बराबरी का हक देते हैं।

अभी कुछ दिन पहले ईद मनाई गई है। ऐसी परंपरा रही है, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न केवल मैं जाता हूँ, बल्कि ऐसे किसी दल का नेता नहीं है, जो उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न जाता हो। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी वहां जाते हैं। वहां सभी धर्मों के नेता जाते हैं। पता नहीं, इस बार क्या साजिश और षडयंत्र था, क्योंकि वहां पर कुछ पाबंदी लगी हुई थी? अगर किसी कारणवश पाबंदी लगी हुई थी, तो बात समझ में आती है। जब जानकारी की गई, तो किसी को नहीं पता था कि पाबंदी क्यों लगाई गई थी कि आप उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं जा सकते हैं। क्या यही भारत और यही संविधान हमें रास्ता दिखाता है?

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हमें बताएं, क्योंकि वह खुद भी माइनोरिटी कम्युनिटी से हैं। भगवान बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं, जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते हैं, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए कि हम हिन्दू वे लोग हैं, जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगाकर चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म के लिए नहीं बोलूंगा, कोई नाराज हो सकता है। मैं दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। मैं केवल यही बताता हूँ।

अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश राज्य से आता हूँ...(व्यवधान) मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि दो महिलाओं को सदस्य बना दिया गया है, इस बार मैं भी देखूंगा कि बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी महिलाओं को टिकट्स देगी। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई नया बिल लाती है, तब वह अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिह्नित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिन्दू मारे गए हैं या खो गए हैं, उनको चिह्नित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा धर्म...(व्यवधान) नहीं-नहीं, ये कुछ कहना चाहते हैं...(व्यवधान)

(1420/SPS/RP)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, मैंने उनको अलाऊ नहीं किया है।

श्री अखिलेश यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कुंभ में सबकी आस्था है। ऐसा कोई नहीं, जिसकी आस्था न हो। कुंभ पहली बार नहीं हो रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है, इसलिए लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी सौ करोड़ लोगों की है, लेकिन तैयारी 100 करोड़ लोगों की भी नहीं थी। जिस तरह लोगों की वहां पर जाने गईं और सरकार ने खुद स्वीकार किया कि 30 लोगों की जाने गई हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ कि आप डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, हम जमीनों की मैपिंग करके डेटा और रिकॉर्ड ठीक करेंगे। ये बताएं कि वे 30 लोग कौन थे? उनके नाम क्या थे, जिनकी जान चली गई? न केवल जान जाने वालों के बारे में, बल्कि सरकार यह भी बताए कि जो लगभग एक हजार हिन्दू खो गए हैं, वे अभी तक नहीं मिले, उनको अभी तक ये खोज नहीं पाए हैं, उन एक हजार हिंदुओं की सूची कहां है? जहां तक धर्म, कारोबार की बात है...(व्यवधान)

महोदय, मैं कार सेवकों वाली बात इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूँ, शायद माननीय सदस्य कुछ सच्चाई जानते ही नहीं हैं। संविधान की वजह से, संविधान को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए गए, लेकिन एफआईआर हम लोगों पर नहीं लिखी गई थी, एफआईआर उन पर लिखी गई थी, जो बेचारे सुबह तैयार हो गए थे, लेकिन पता नहीं कहां से फोन आया था कि अब तैयार तो हो गए हो, लेकिन आप शिलान्यास में नहीं आ सकते। मैं बात को इधर से उधर नहीं ले जाना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : अखिलेश जी, आप थोड़ा वक्फ पर भी आ जाएं।

... (व्यवधान)

(1425/KDS/VR)

श्री अखिलेश यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं वक्फ पर आ रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वक्फ को समझने के लिए भाजपा की सोच क्या है? ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा। धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वे 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे कि वे तीस-मारखां हैं। उनसे पूछा गया कि जानें कितनी गईं, तो बताया कि 30, उनसे पूछा गया कि कारोबार कितने का होगा, तो उनका जवाब था कि 30 गुणा

10 हजार करोड़। आप सोचिए, क्या कुंभ कारोबार की जगह है? उसे कौन नापेगा? माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन चाहे वह रेलवे की हो, डिफेंस की हो, वह भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूँ कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की जमीन भी भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही है?

महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? केवल यहां तक ही नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत का है, इसलिए वक्फ की जमीन के संबंध में माननीय मंत्री जी बताएं और मुझे आशा है कि वे जब जवाब देंगे, तो बताएं कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वह जमीन है, जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन बाहरी खतरे पर कोई सवाल-जवाब न करे, इसलिए यह बिल लाया जा रहा है। माननीय मंत्री जी जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये बताएं कि वहां पर चीन ने कितने गांव बसा लिए हैं, घर बना लिए हैं?

महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी, किसी भी पैतरेबाजी से, किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्ट्रेट से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो या वक्फ बोर्ड या परिषद् में बाहरी लोगों को शामिल करने की बात हो, इन सबका उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में ले जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल के पीछे न तो नीति सही है, न नीयत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर-दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है। वह असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की क्या जरूरत है? सरकार क्यों जिद कर रही है? वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हठ है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। ... (व्यवधान) वह तो आपको काटेगा और इसलिए काटेगा, क्योंकि बाहर ये लिखते हैं-“सत्यमेव जयते।” भाजपाई अंदर असत्य बात कहते हैं। भाजपा वक्फ बिल लाकर अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है, जो भाजपा की आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थ-व्यवस्था से छटक गए हैं। जब से वोट में गिरावट आई है, खासकर उत्तर प्रदेश में भी, तब से भाजपा की कोशिश है कि अपना वोट कैसे संभाला जाए? वोट को संभालने के लिए यह बिल लाया गया है। भाजपा का लक्ष्य वक्फ की जमीनों पर नियंत्रण अपने हाथ में लेकर, इन जमीनों को पिछले दरवाजे से ये अपने लोगों को दे देना चाहती है। भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने पर मुस्लिम समुदाय को लगे कि उनके हक को मारा जा रहा है, वे उद्वेलित हों और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके।

महोदय, भाजपा का लक्ष्य ही है कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि भाजपा जानती है कि जितना अधिक ध्रुवीकरण होगा, वे उतना ज्यादा लाभ उठाने में आगे रहेंगे। यह वक्फ बिल, जो लाया जा रहा है, वह अपने वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांटकर ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ हेतु लाया जा रहा है। इसके लिए यदि नहीं लाया गया होता, तो पहले से जितने फैसले सरकार

ने लिए हैं, क्या उनसे प्रदेश या देश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटीज़ की बात करें, तो कितनी स्मार्ट सिटीज़ बन गई हैं? आपकी नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया कहाँ-कहाँ निकल रहा है? डर तो यह लगता है कि कहीं भाजपा वाले दूसरों का पैसा दूसरे के घर रखकर न पकड़वा दें। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेक्युलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। यह बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है।

1428 बजे

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

महोदया, अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो आपने साथी संभाल लिए हैं। एक साथी तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है और जिनका हमने सम्मान किया, वे हमें कहाँ ले गए? आप हमें यहां छोड़ गए। राजनीति क्या है? हमने आपका हाथ पकड़ा और हम यहां आ गए। आप हमारा हाथ छुड़ाकर वहां चले गए। आप देखिएगा की कल हमारा और इनका हाथ न मिल जाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बिल भाजपा के लिए वाटर-लू साबित होगा, क्योंकि ये ऊपर से तो हां-हां कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी इनसे सहमत नहीं हैं। अंत में मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि यह वक्फ बिल कोई उम्मीद लेकर नहीं आ रहा है। यह एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका वोट बिखर गया है। ये मुस्लिमों में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम-इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नहीं नजर आता है। इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में बंटवारा कर दें।

(1430/YSH/SNT)

बंटवारा तो अभी पीडीए करेगा। अभी आप देखिएगा।

सभापति महोदया, अभी हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? वोट ही नहीं डालने दिया।

सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने दल और साथियों के साथ कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती है। अगर वोट डाले जाएंगे तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं।

(इति)

1430 hours

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): On behalf of All India Trinamool Congress, under the leadership of Mamata Banerjee, I strongly oppose the Bill in its entirety.

Madam, the spirit of my speech is:

“तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा
इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा।”

This present Bill covers importantly two areas of waqf. One, manage religious affairs of the Waqf Board. One of the arenas is to manage, control, and supervision of the religious aspects of the Muslims. Two, providing power to the State Government to decide the disputes in respect of the waqf property, including land and building. Article 26 of the Constitution of India provides that subject to public order, morality, and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right: (a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes; (b) to manage its own affairs in matters of religion; (c) to own and acquire movable and immovable property; (d) to administer such property in accordance with the law.

Madam, the waqf is an institution for religious and charitable purposes. The Muslims have the constitutional right to manage their own affairs in matters of religion because the waqf property belongs to Allah. They also have the right to administer such property. The purpose of the Bill is a clear breach of the right of Muslims to perform their religious duties and manage their religious affairs, and therefore it is completely in violation of Article 26 of the Constitution of India.

The Bill hits the basic structure of the Constitution. Under Article 246, sub-article 1, the Parliament has exclusive power to legislate a law under Schedule VII of List 1. Under Article 246, sub-article 3, the State Legislature has the power to legislate the law, which is an exclusive power. This means that land comes under List 2, under Entry 18 of the State List. Lands and buildings vested in or in the possession of the State come under Entry 35 of List 2 of the State List. In the proposed Waqf Bill, the Parliament has no power to legislate any law in respect of the land and buildings vested in the possession of the State in respect of the waqf property because the State only has the power to legislate such laws. Therefore, the Parliament is now encroaching upon the power of the States to legislate in deciding the question of the land and buildings of the waqf. Thus, it

is completely unconstitutional and de hors Article 246, sub-article 3 of the Constitution of India. This also hits the basic structure of the Constitution. By exercising any power under List 1 or List 3, the power of States to legislate under List 2 cannot be encroached upon.

There is a difference between a waqf recognized by Muslim law and religious endowment and a waqf recognized by Hindu law on one hand and a public charitable trust as contemplated by English Law on the other. The question has been considered by the Privy Council in *Vidya Varuthi Thirtha vs. Balusami Ayyar* long ago. Mr. Amir Ali, who delivered the judgment of the Board, observed: "It is to be remembered that a trust in the sense in which the expression is used in English law is unknown in the Hindu system..."

(1435/AK/RAJ)

"... When the gift is directly to an idol or a temple, the seisin to complete the gift is necessarily effected by human agency. Called by whatever name, he is only the manager and custodian of the idol or the institution... In no case was the property conveyed to or vested in him ...".

Similarly, there is a basic difference. The hon. Minister was speaking about the Hindu trust. The Muslim law relating to trust differs fundamentally from the English law. Hindu trust follows English law. Muslim law does not follow English law. This is the basic difference.

Mr. Ameer Ali said: "The Mohammedan law owes its origin to a rule laid down by the Prophet of Islam; and means the tying up of property in the ownership of God the Almighty and the devotion of the profits for the benefit of human beings ... As the result of the creation of a wakf, the right of the wakif is extinguished and the ownership is transferred to the Almighty". It is religious. If it is religious, it comes within the ambit and scope of Article 26 of the Constitution.

It further states: "The manager of the wakf is the mutawalli, the governor, superintendent, or curator". But in that capacity, he has no right in the property belonging to the wakf. The property is not vested in him and he is not a trustee in the legal sense. Therefore, there is no doubt that the waqf, to which the Act applies, is in essential features, different from the trust, as is known, to English law.

In *Shayara Bano versus Union of India*, 2017, Volume 9, SCC page 1, the Constitution Bench held that any legal provision should be made with the application of known principles of law. If any decision is taken without supporting principles of rule of law, it becomes unpredictable and such a decision is antithesis of a decision taken in accordance with the rule of law. This proposed Bill is just contrary to the well-settled principles of law, which is established in the country. Judgments have been pronounced not only by the Privy Council, but by the Supreme Court of India also.

Madam, the various provisions of the Waqf (Amendment) Bill, 2024 is manifestly arbitrary and therefore cannot be passed by the Parliament itself. The waqf system in Islamic tradition stands as a testament to the enduring values of charity, community welfare, spiritual dedication rooted in the principle of Sadaqah Jariyah.

Wakf properties in India form the backbone of the Muslim community's social, cultural and religious life -- playing a pivotal role in maintaining their collective identity. These endowments sustain mosques, madarasas and cemeteries while providing essential resources to marginalized sections of society, especially in environment where minority communities often struggle for equitable access to public purposes. This is not there, namely equality and equitable access, in the case of the Muslim. This is the reason we are opposing it.

Over the years, excessive Government oversight has raised concerns about the erosion of autonomy and sanctity of waqf, which under Islamic law, is intended to function independently to serve its religious and charitable purposes. At the heart of the waqf system's administration lies the State Waqf Board that acts as custodian of waqf properties, ensuring their proper management and alignment with the purposes defined by Islamic law. These boards have consistently worked to protect waqf properties from mismanagement.

Madam, the Waqf Act was centrally first introduced in 1953. Mr. Rijju, the hon. Minister has also said this. Thereafter, so many Acts came including the 1995 Act, Amendment of 2013, and now this is coming. Now, by introducing clause 2, the title of the Act has been amended to Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development. There

is no rational basis to make such amendment to the title of the Act. Every Act is intended to make the Act more efficient for development purpose.

(1440/UB/SK)

For example, the Companies Act was enacted in 1956, thereafter re-enacted in 2013. The Act was brought to regulate the management, empowerment, efficiency, and development of the control of the companies. The Waqf Act, 1995, had various provisions for management, empowerment, efficiency, and development. Therefore, the proposed amendment to the title is absolutely unwarranted. The title, which has been used for nearly 75 years, has no necessity to be amended unless the Government wants to have the satisfaction that something new has been done. The proposed amendment to the Waqf Act, which includes a tacit attempt to alter or dilute the historical and religious significance of the term 'Waqf', is deeply concerning and warrants strong objection. The term 'Waqf' is not merely legal or administrative. It is a sacred concept deeply rooted in Islamic tradition and jurisprudence. Why are you taking this away?

The historical development of Waqf legislation in India is: the Bengal Waqf Act, 1934; the Uttar Pradesh Muslim Waqf Act, 1960; the Waqf Act, 1954; and the subsequent unification under the Waqf Act of 1995. They have always retained the sanctity of the term. These laws, while designed to provide statutory governance, have consistently respected the essence of Waqf as a concept grounded in the Islamic law.

Madam, the insertion of clause 2(a) tantamounts to nullifying all the earlier judgments, decrees, and orders of any court in respect of the Waqf and the Trust. This attempt is basically taking away the rights of the Muslims that they have accrued. Any attempt to nullify the Supreme Court judgment by legislative process is illegal and unconstitutional. Clause 3(IX) of the proposed Bill states that various sects and sub-sects have been created. This attempt to create sub-sects without having any rational object is not a good sign for any religion, caste, or creed. If the Constitutional provisions empower Parliament to create caste, sub-caste, or sub-class, only Parliament can do so like the Scheduled Castes were created in Hindus. But the Constitutional provision does not empower Parliament. Under the guise of the Waqf (Amendment) Bill 2024, they are creating Aga Khani Waqf, Bohra Waqf, etc. The intention to legislate such a

classification of Waqf Board based on sub-sects shows that the Ruling Party has evil intentions. If the title speaks about unification, the creation of various Waqf Boards on the basis of sub-sects itself creates a de-unification between the sects and sub-sects of the Muslims.

Madam, Clause 3F(a) of the proposed Bill defines Government organizations, including municipalities, panchayats, and autonomous bodies of the Central Government under Part 9A of the Constitution. Under the scheme of Part 9A, the municipalities and the panchayats are self-government and autonomous bodies. How can the properties of the self-government bodies be treated as Government properties? In a Constitutional provision, it does not make sense. By this law, the panchayat and municipality have been described as Government properties. It is not a Government property; they are local self-government bodies. There is a distinction. Therefore, this provision is bad.

Madam, the introduction of the definition of Government property seems to be mischievous. Why will Waqf be allowed to define Government property? This is an attempt to legalize illegal occupation or occupation of the Waqf property by Government organizations. There is another sin here. In the JPC, we said repeatedly, give us the data where the Government has occupied the Waqf property. Nothing is there. And in Rajasthan, there are extreme cases; 80 per cent of the Rajasthan Waqf properties have been occupied by the Rajasthan Government itself. Practising Islam for at least five years as a precondition for making Waqf is thoroughly unreasonable, irrational, and manifestly arbitrary. (1445/GM/KN)

Under the scheme of the Constitution of India, no person can be compelled to practice his own religion. If no person can be compelled to practice his own religion, then such person cannot be debarred from either offering his property to God or from being a Hindu or a Muslim or from any other religion. Practising religion means day-to-day performance of his religious duty. In a secular democratic country like ours, no one can compel anybody to perform any religious duty.

If such a provision cannot be made either in the Constitution or in any other statute, no mandatory provision can be made for practising Islam for at least five years for making waqf. Even if I discharge my religious duty on my own at any place, I cannot be compelled to say whether I am performing religious

duty or not performing the same. How can anyone ask me whether I am performing religious duty or non-religious duty? Is it not a violation of the Constitution. What power has the Constitution given you to ask me whether I am discharging religious duty or not. A man can believe in performance of religious duty at any point of time of his life, even before death.

Performing a religious duty cannot be the basis of belonging to that religion. Even in a Hindu Mandir, which is governed by an Act, like Puri Jagannath Temple or Kashi Vishwanath Temple, there is no such provision that a person has to practice Hindu religion for at least five years and then only he can donate anything to the deity. Madam, I cannot donate. If I want to donate, it is my choice. How can my choice be controlled? I donate everywhere. I donate in Hindu Mandir. I donate in Muslim property. I donate in the Christian property. I donate in the Buddhist property. I donate to vagrants. I donate everywhere. How can you control this act? By reason of insertion of this clause, no other person of a religion can make over any property to waqf. The proposed amendment is thoroughly misconceived, arbitrary and irrational, and therefore, violates Article 14 of the Constitution of India.

In this Bill, Clause 3(ix) omits the existing Clause 3R(i). That means waqf by user is being taken away. Waqf by user is a long-standing practice of Muslims. In our country, waqf by user has been a very common practice decades after decades, rather from time immemorial. Waqf by user is a practice. The concept of waqf by user was recognized in our country in the case of Court of Wards for the property of Makhdum Hassan Bakhsh vs. Ilahi Bakhsh & ors., 1912, HCC online, page 45. Madam, the hon. Supreme Court in the matter of Syed Mohd. Salie Labbai (Dead) by L.Rs. and others vs. Mohd. Hanifa (Dead) by L.Rs. and others, 1976, in paragraph 34, 36 and paragraph 39, categorically accepted this waqf by user.

There is a necessity in case of prayers offered in congregation. A single Muslim can also offer his prayers with or without an imam, but the prayer is in a congregation of a Jamaat or offered only behind an Imam who leads the prayers. And Islam is an extremely modern and liberal religion. There is no question of any person being denied admission in a Mosque for the purpose of offering prayers. And that is why the law is so strict that the moment a person is allowed

to offer his prayers in a Mosque, the Mosque becomes dedicated to the public, and therefore it's a waqf property.

Finally, it is not necessary for the dedication of public mosque. Madam, in that judgment, it has been said that when a person erects a building with the object of dedicating it as a mosque and permits people to offer prayers therein without declaring that he has constituted it into a mosque and prayers are offered and they build Jamaat, the mosque becomes irrevocably dedicated.

Madam, I will just give one instance. In the Raisina village, where the residence of the President of India is there, there was a big village long back. In the big village, there are so many Muslims. One Hindu dedicated his property for offering their namaz, and that property is the mosque in front of Parliament. (1450/SRG/VB)

Who has not gone there? Shri Abdul Kalam had gone there. All important political leaders, including Bhutto and the Imam, who is sitting here as one of our colleagues, a Member of Parliament, have also gone there. If prayers are offered once in a mosque, it is sufficient to constitute a good dedication. Dedication has been clearly said. Paragraph 39 of the judgement reads. "The founder must declare his intention to dedicate a property for the purpose of mosque. No particular form of declaration is necessary. The declaration can be presumed from the conduct of the founder, either expressed or implied." If this is the principle of law, long-standing in our country, how can you say today, "You have to register waqf by user. You have to give a declaration"? I do not need to do that. Therefore, through this Bill, you are trying to take away the basic reason of all the judgements of the Supreme Court. This is not correct and this is bad.

Madam, Shri B.K. Mukherjea said, 'Neither a document nor explicit expressed words are essential for dedicating property to religious or public purposes; such dedication can be implied from the permitted use of property for sufficient period of time. The conduct of those properties is presumed to indicate dedication.' It has been said by Shri B.K. Mukherjea on Hindu law of religious and charitable trusts. I do not think that there is anyone in India who understands Hindu law better than Shri B.K. Mukherjea. There is no one. He has said so in his book. Anyway, new concepts and smart men have come like a smart phone. Therefore, everything is being done.

In the case of *M. Siddiq through Lrs Mahant Suresh Das*, 2021 SCC 1, 'wakf by user' has been expressly mentioned. Our jurisprudence recognizes the principles of 'Waqf by user' even absent and express deed of dedication. This is being taken away. It is a long judgment, I will not read it. Therefore, it hits the basic things.

Please refer to Clause 3, sub clause 5 of the proposed Bill. The right of verbal declaration of waqf has been taken away. This is contrary to the history of creating waqf by any individual. Several properties are dedicated waqf by a good number of persons to be made as waqf property.

Madam, there is deletion of the word 'either verbally or in writing'. The right of the Muslim is protected under Articles 25 and 26 of the Constitution. Therefore, it hits the basic structure of the Constitution.

Now, I refer to the case of *Commissioner of Police Vs. Acharya Jagadishwarananda Avadhuta* (2004) 12 SSC 770. It pertains to our State. When CP(I)M was in power, they killed Ananda Margis. In that case, this judgment has come. The protection guaranteed under Articles 25 and 26 of the Constitution is not confined to matters of doctrine of belief, but extends to acts done in purpose of religion, and therefore contains a guarantee for rituals, observances, ceremonies, and modes of worship which are essential or integral part of religion. What is waqf then? It is an integral part of religion. Essential part of religion means the core beliefs upon which a religion is founded. The core belief of the Muslim is that Allah is there, I have dedicated my property to Allah, therefore it is a waqf property. It is upon the quintessential power that the superstructure of a religion is built without which religion will be no religion. Nobody can say that essential part or practice of one's religion has changed from a particular date or by an event.

The proposed amendment clause proceeds with the assumption that waqf properties are riddled with the issues of mismanagement. It appears that the primary basis of this assumption is the quantum of pending litigation surrounding waqf. If this is the basis of identifying a body as mismanaged in terms of the pending litigation, it cannot be a rational basis of determining the standard of management of a body.

(1455/RCP/PC)

In fact, the hon. High Court of Delhi in one of the cases against Union of India has given the details of the pending cases. If pending cases are the ground for bringing the legislation, now I tell you the statistics. The number of pending civil cases in the Supreme Court is 64,687. The number of pending criminal cases in the Supreme Court is 18,235. The total number of pending cases is 82,922. In waqf, all over India, 14,000 to 15,000 cases are pending. It cannot be said to be the basis.

In Clause 4, there is insertion of section 3B which mandates that every waqf, prior to the commencement of this Act, shall file the details of the waqf and the property dedicated to the waqf. I have already dealt with that. The Waqf Board under this statute has declared a property to be waqf. In that case, the Government has challenged the same before the appropriate court of law. Madam, this is very important, I have missed it.

According to the Minister, the State Government officer above the District Magistrate will decide the issue. How it can be so? How can the State be a judge of its own cause? The State will decide: "This is my property, and it will be binding." The problem is this. The moment it will be claimed, it will not be treated as a waqf property. The title of the land can be decided only by the civil court, not by anybody else. The power which has been given to decide the title of this land whether it is a Government land or not, that is covered by the State List under Entry 35 of List II in the Seventh Schedule of the Indian Constitution. The Parliament has no power to legislate law in respect of that. If the Waqf Board under the main statute has declared a property to be waqf, and in case the Government has challenged the same before the appropriate court of law, by amending this law, it cannot be done. A person cannot be a judge of his own cause. It has to go to a civil court. It is a well-known principle. Everyone knows about it. If there is a dispute regarding a civil law, who will decide? It will be decided by a civil court. The proviso itself indicates the predetermined mind of the Government. The Waqf Board itself is a statutory body. According to Section 3C (4), if there is any wrong writing in the records of the Waqf Board, that can be challenged by the Government in accordance with law. The Government cannot direct the Waqf Board to make the correction. This itself is hit by the doctrine of dictation.

The hon. Supreme Court time and again reiterated that revenue records are not documents of title and they do not vest the right of ownership as the property to the individuals named in the land records. So many references are there. These are elementary things. Any law student also knows about this bunch of laws. Unfortunately, this has not been taken care of by the Central Government. In Clause 5 (e), the proposed amendment amounts to creating sub-classes amongst the Muslims for the purpose of giving birth to disputes. Coming to Clause 9 of the proposed Bill, proviso to Clause 9 is totally unacceptable as it provides that two Members appointed under this sub-section shall be non-Muslim. The exclusion of Muslim community persons from holding the post of two Members in the Waqf Board is hit by Article 14 of the Constitution of India which provides equal opportunity to everyone.

In the case of Hindu temples, the non-inclusion of Hindus cannot be imagined. We cannot imagine it. For example, under Section 6(2) of the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, it has been specifically mentioned that there are three eminent Hindu scholars well-versed in Hindu theology. A line has been said, a point has been taken to see. This is the State law. But it is a Central law. A law is a law. Law means it is within the ambit of Article 246 of the Constitution of India. Law does not mean beyond Article 246. If a law is within the ambit of Article 246 of the Constitution of India, there cannot be discrimination between a State law and a Central law. An unthinkable stand has been taken. I cannot think about this. After 44 long years of practice, I cannot say, I cannot think that no, it is a State law; it cannot be compared with a Central law. What is this? A law is a law. Law is having its own force. Read Article 13 of the Constitution of India also. What is law?